ओमप्रकाश V/S कोजकी 71/2016

अवसर/पक्षकारान के आदेश

12.1.21 पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण पक्षकारान के समक्ष दिनांक 9.2.21 को पेश करें।

9.2.21 पत्रावली पेश। बहस प्रार्थना पत्र 11 CPC पर सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 11 CPC हेतु दिनांक 1.3.21 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

1.3.21 पत्रावली पेश। समय अभाव के प्रार्थना पत्र 11 CPC आदेश नहीं लिखा जा सका मिसल दिनांक 8.3.21 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

8.3.21 पत्रावली पेश वकील प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद सी.पी.सी. के ~~नियम~~ O.7, R.11 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से शामिल है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थी/वादी–

1. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र सांवताराम
   जाति–रेगर, निवासी–सोमणा, तहसील–जायल

प्रतिवादीगण –

1. कोजकी पुत्री सांवताराम पत्नी रतनाराम
   जाति–रेगर, निवासी–सोमणा, तहसील जायल जिला–नागौर।
2. राजू पुत्री सांवतराम जाति–रेगर पत्नी सोहनराम
   जाति–रेगर, निवासी–लूणसरा, तहसील जायल जिला–नागौर।
3. तहसीलदार जायल
4. उप पंजीयक, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 11 सीविल प्रक्रिया संहिता) दिनांक 06.02.2020
वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा, अप्रार्थी 1 की ओर से।

मुकदमा नं. 71/2016

दिनांक : 09/03/2021

– : : आदेश : :–

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन धारा 11 सीपीसी को पेश किया, जिसकी प्रतिलिपि वकील अप्रार्थी(वादी) को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया किया कि उपरोक्त वाद वादी द्वारा ही इन्ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध इसी बिनाय पर इन्ही खसरा नं. मौजा सोमणा तहसील–जायल के खसरा नं. 122/7 रकबा 2 बीघा तथा खसरा नं. 825 खसरा नं. 20.04 बीघा की खातेदारी प्राप्त करने के लिए अधीन धारा 88 तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अधीन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्व में पेश किया गया था, जिसके नम्बर वाद संख्या 271/2011 थे। उक्त वाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.01.2014 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया।

इस कारण से वर्तमान वाद 71/2016 अधीन धारा 11 सी.पी.सी. के तहत पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः वादी के वाद को मय हर्जा–खर्चा के खारिज किया जावे।

09/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वकील अप्रार्थी/वादी ने दिनांक 09.09.2020 को प्रार्थना पत्र का आंशिक स्वीकार कर जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी अनपढ़ व्यक्ति है जो मात्र हस्ताक्षर करना जानते है वादी के वकील ने वादी के वाद की पैरवी की कोई सूचना नहीं दिये बिना ही अनुपस्थित रह कर वाद को खारिज करवा दिया। वादी को सूचना होने पर वादी ओमप्रकाश वकील से सम्पर्क किया तो वकील ने टालम टोल करते हुये कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए वादी को पूर्ण सूचना नही थी और न ही उक्त वाद संख्या 271/11 का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा मैरिट पर किया गया है। इसलिए भी वादी का वाद बाद सुनवाई से ही निर्णित हो सकेगा।

विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 122/7 रकबा 2 बीघा व खसरा नं. 825 रकबा 20.04 बीघा पर वादी का कब्जा काश्त है वादी सांवतराम के गोद पुत्र होने के हैसियत से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के समय–2 पर सामाजिक रिति रिवाजो के अनुसार कार्यो के भागीदारी निभाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अपने पास से राशि भी खर्च की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने गोदनामें पर सहमति प्रकट की लेकिन दोनो प्रतिवादी लोगो के शिखावे में झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है पूर्व का वादपत्र कब्जा छुड़ाने का था जो वाद पत्र विचाराधीन है जो खातेदारी घोषणा का है जो तनकी व साक्ष्य के बाद ही मैरिट पर निर्णय लिया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी पूर्व न्याय के सिद्धान्त इस प्रकरण में लागु नहीं होता है, क्योंकि वाद संख्या 271/11 का निर्णय मैरिट पर नहीं हुआ ह इसलिए वर्तमान वाद पत्र में पक्षकारों को सुना जाकर निर्णय मैरिट पर किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे। चूंकि प्रकरण पुराना है, वकुलाय की सहमति पर प्रकरण वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य तथ्यों का पुनदोहरान करते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवानित वाद के संबंध में पूर्व वादी द्वारा इसी बिनाय पर इन्ही खसरा नं. अर्थात मौजा सोमणा तहसील–जायल के खसरा नं. 122/7 रकबा 2 बीघा तथा खसरा नं. 825 खसरा नं. 20.04 बीघा की खातेदारी प्राप्त करने के लिए अधीन धारा 88 तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अधीन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद संख्या 271/2011 पेश किया था। उक्त वाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.01.2014 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था। इस कारण से वर्तमान वाद अधीन धारा 11 सी.पी.सी. के तहत

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हस्तगत को वाद अधीन धारा 88 , 188 आर.टी.एक्ट को हर्जा–खर्चा सहित खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के किये कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वादी अनपढ़ व्यक्ति है जो मात्र हस्ताक्षर करना जानते है वादी के वकील ने वादी के वाद को बिना वादी को सूचना दिये खारिज करवा दिया। वादी को सूचना होने पर वादी/अप्रार्थी के वकील से सम्पर्क किया तो वकील ने टालम टोल करते हुये कोई जवाब नहीं दिया। वादी को पूर्ण सूचना नही थी और न ही उक्त वाद संख्या 271/11 का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा मैरिट पर नहीं किया गया है। इसलिए भी वादी का वाद बाद सुनवाई से ही निर्णित हो सकेगा।

वकील वादी ने आगे निवेदन किया कि पूर्व का वादपत्र कब्जा छुड़ाने का था तथा वर्तमान वादपत्र खातेदारी घोषणा का है जो तनकी व साक्ष्य के बाद ही मैरिट पर निर्णय किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी पूर्व न्याय के सिद्धान्त अनुसार इस प्रकरण में लागु नहीं होता है, क्योंकि वाद संख्या 271/11 का निर्णय मैरिट पर नहीं हुआ है इसलिए वर्तमान वाद पत्र में पक्षकारों को सुना जाकर मैरिट पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

बहस वकुलाय पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी के संलग्न दस्तोवज प्रमाणित प्रतिलिपि वाद संख्या 271/2011 अनुवान ओमप्रकाश बनाम कोजकी का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी/वादी ने कथन किया है कि पूर्व में प्रस्तुत वाद कब्जा छुड़ाने का था। परन्तु प्रार्थना पत्र हाजा के साथ संलग्न प्रमाणित नकल से पाया कि पूर्व में न्यायालय हाजा में इन्ही पक्षकारान के मध्य, इन्ही विवादग्रस्त खसरान एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत पेश किया गया था जो दिनांक 06.01.2014 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय हाजा द्वारा अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया है।

सहायक कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

हस्तगत वाद संख्या 71/2016 तथा पूर्व के वाद संख्या 271/2011 के अनुवान खसरान एवं अनुतोष भी समान पाया गया है। यदि वादी का वाद पूर्व में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया है तो सी.पी.सी. सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही कर रिस्टोर किया जाना चाहिऐ न कि नवीन वाद लाया जाना चाहिऐ। वकील वादी द्वारा समान अनुवान, खसरान एवं अनुतोष के लिए पूर्व में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 271/2011 के दिनांक 06.01.2014 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये पर रिस्टोर नहीं कराकर तथ्यों को छुपाकर नवीन राजस्व वाद संख्या 71/2016 पेश किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित एवं आदेश 07 नियम 11 सीपीसी विधि द्वारा वर्जित (Bard by law) है। अतः वकील प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 11 सीविल प्रक्रिया संहिता–1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद सी.पी.सी. के आदेश– 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09/03/2021 को सरे ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

09/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner